

कार्यालय महाधिवक्ता मध्य प्रदेश जबलपुर

क्रमांक/ ५१६७ /न्या०प्र०/२०१६ जबलपुर, दिनांक १८/११/२०१४
प्रति,

अतिरिक्त सचिव,
म०प्र० शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग,
भोपाल ।

विषय:-रिट अपील क्र० ६७१/२०१५ विनोद सिंह विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य के निर्णय की जानकारी।

विषयांतर्गत रिट अपील क्र० ६७१/२०१५ विनोद सिंह विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में विधि विभाग की ओर से प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, म०प्र० जबलपुर द्वारा दिनांक १९.२.२०१६ को निर्णय पारित किया गया है, जिसकी छायाप्रति आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अवर सचिव

महाधिवक्ता कार्यालय मध्य प्रदेश,
जबलपुर ।

क्रमांक/ /न्या.प्र./२०१६ जबलपुर, दिनांक १८/३/२०१६

प्रतिलिपि:- लेखा शाखा महाधिवक्ता कार्यालय, म०प्र०, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अवर सचिव

महाधिवक्ता कार्यालय मध्य प्रदेश,
जबलपुर

50 (mkm)
21/3/2016
26-3-16



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

ORDER SHEET

CASE NO. 201

Vs

DATE OF THE
ORDER

ORDER

19.2.2016

W.A. No.671 of 2015

Shri R.K.Chourasia, Advocate for the appellant.


Shri Amit Seth G A for the respondents State

Shri Armit Seth, G.A., for the respondents State.

Shri Arpan Pawar, Advocate for the respondent Nos.2 and 3.


We find no reason to deviate from the view taken by the learned Single Judge that it was permissible for the High Court to limit the appointment of Oath Commissioner for specific Court and in any case, the appellant can be permitted to function only under order dated 10.5.1999. The communication dated 13.7.2015 is essentially reiteration of the approval operating in favour of the appellant. Learned Single Judge has justly relied on the decision in the case of Kishor Patil -vs. D.M.Engineering (P) Ltd. (2008) 1 MPWN 75 to answer the controversy. No interference is warranted.

Dismissed.


(A.M. Khanwilkar)
Chief Justice


(Alok Aradhe)
Judge

Khan*



2016